

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या-5 न0वि0/गठन-32/2020-

613

/बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले सुपौल जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4335 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् त्रिवेणीगंज	बभनगामा-271 लतौना अंश-273 थलहागढ़िया अंश-269 डपरखा-277	बभनगामा, लतौना उत्तर, थलहागढ़िया दक्षिण एवं डपरखा (पूर्ण भाग)	उत्तर-थलहागढ़िया अंश-269, बरहकुड़वा-278 एवं जागुर-270 दक्षिण-लतौना अंश-273, महेशुआ-272 एवं कुसहा-274 पूरब-मिरजावा-280, बरहकुड़वा-278, लक्ष्मीनियाँ-276 एवं कुशहा-274 पश्चिम-महेशुआ-272, जागुर-270 एवं बेलहा-263	50053

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद् त्रिवेणीगंज कहा जायेगा।

3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अरविन्द कुमार झा) 21

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5 न0वि0/गठन-32/2020-

613

/न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक-17/02/21

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव। 2

ज्ञापांक-5 न0वि0/गठन-32/2020-

613

/न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक-17/02/21

प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/सचिव, के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव। 21

ज्ञापांक-5 न0वि0/गठन-32/2020-

613

/न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक-17/02/21

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना/निदेशक, जनगणना निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव। 21